

1. श्री केशव शर्मा

पिता-श्री राजेन्द्र शर्मा

2. श्रवण कुमार सिंह,

पिता-मोहन सिंह

3. श्री हरि लाल शर्मा,

पिता-श्री किस्टी शर्मा एवं अन्य

क्याटेडर नं०-17 न्यू ब्लॉक टाईप

मुंबई नगर, धनबाद।

धनबाद, दिनांक:- 04/3/21

विषय: आवासीय/व्यवसायिक/आर्थिक/संस्थानगत भवन निर्माण हेतु गृह लान कंधा नं० ब्लॉक-84/18-19 संबंधित

आपके आवेदन दिनांक-20.11.2018 के संबंध में।

महाराज,

आपके आवेदन दलील संख्या-2777, 2775, 2776 दि०-04.05.2018 दखिल खारिज मुकदमा संख्या-509 R/27/18-19, 508 R/27/18-19, 493 R/27/18-19 लगान रसीद सं०-0489685348, 0591346248, 0888538589 Vol-3 वर्ष 2018-19 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुरोधों के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/आर्थिक/संस्थानगत भवन संबंधी ब्लॉक-84/18-19 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार संप्रति है कि नावाहीट मौजा सं०-02 अंतर्गत खाला सं० नया-07 पुराना-14 प्लॉट सं० नया-736, 737 पुराना-921 कुल रकबा-63.71 हे० मसि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाइसेन्सी अभियन्ता अशोक कुमार की देख-रेख में कार्यान्वयन के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अद्योदस्तावेजी की कार्यान्वयन की जानकाही उपलब्ध करायेगा। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 03 (तीन) वर्ग मी० कायू पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की तिथिगत जानकाही अद्योदस्तावेजी की उपलब्ध करायेगी। प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वनिर्णय के बगैर किये गये किसी भी लिखित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता। बल्कि उसे गिराना ही एकमात्र विकल्प होगा। झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद से संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य को निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये गयीं से हटकर अन्य गली का निर्माण नहीं करेंगे। माता भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/आर्थिक/संस्थानगत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्थानित, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है। विषय प्रयोजन के लिए भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है, निर्मित भवन का व्यूहकार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रथमतः भूमि पर भू-स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा। जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होंगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रु-10,94,268/- का 1/3 भाग रु-3,64,756/- का बैंक ड्राफ्ट सं०-510231 दि०-20.01.2021 एवं रु-3,64,756/- का दो पोस्ट डेटेड बैंक सं०-003009 दिनांक-20.01.2022 तथा बैंक सं०-003013 दिनांक-20.01.2023 का जमा किया गया है।

सर्वेक्टर डिजायन, सीवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा। स्वीकृत-के निर्माण के बाद आवेदक संप्रति करने और अभियन्ता स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आपकी निर्माण कार्य जारी रहनेगी साथ ही खनिज और इलेक्ट्रिकल संबंधित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होने की तिथिगत रूप से जमा कर देंगे।

भूमि संबंधी विवाद अथवा कानूनगत से कोई गलत साबित होने पर या जिले के राज्य शाखा एवं न्यायालय द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः प्रभावित होगी।

डिवायस/नगर निवेशक, नगर निवेशन विभाग, धनबाद।